जगदीश उर्फ जानूराम बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 46/2022
सी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/164

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः ज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा ड़िया के खाता संख्या 112 के खसरा नम्बर 664/314 रकबा 0.3966 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेश: : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता **ग्राम– कमेड़िया के खाता संख्या 112 के खसरा नम्बर 664/314 रकबा 0.3966 ेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम प्रार्थी जगदीश पुत्र रेंवतराम के स्थान पर ्राम उर्फ जगदीश पुत्र रेंवतराम जाति लोहार सा. देह** दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार ो आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद

आदेश आज दिनांक 31.3.23........ को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner